सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 377/16 **निर्णय दिनांकः– 22.01.2018**

1. गिरधारी पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासी गोगडियाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. पूनाराम पुत्र सुरजनाराम जाति मेघवाल निवासी गोगडियाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 07–02–2013
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बज्जू

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 07–02–2013 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कब्जा नियमन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पूर्वज श्री नारायणराम के नाम ग्राम गोगडियाला के खसरा नम्बर 318 में 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि सरसरी बन्दोबस्त अनुसार थी। जो मिसम बन्दोबस्त में दर्ज नहीं की गई। जबकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर अपीलांट का चला आ रहा है। अपीलांट के उक्त कब्जे काश्त की भूमि बाद चकबन्दी उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 3 के चक 2 जी.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा नम्बर 49/39, 49/38, 49/31, 49/32, 49/40 में 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि पैमूद हुई। अपीलांट द्वारा अपने आराजी मुतनाजा पर चले आ रहे कब्जे का नियमन नियम 21 ए आवंटन नियम 1975 के तहत कराने हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो अदालत मातहत को अपीलांट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच हेतु प्रेषित किया गया। जिस पर हल्का पटवारी से दिनांक 05—09—2012 को रिपार्ट मांगी गई। उक्त रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रेषित नहीं की गई है। तत्पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 15—12—2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नियमन आवेदन पर उपरोक्त भूमि की रिपोर्ट जिसमें वर्ष 1993 से 1998 तक उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का दर्शाया गया है तथा स्थगन आदेश का नोट भी अंकित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 07—02—2013 को चक 2 जीडब्ल्यूएम क मुरब्बा न म्बर 49/38 के किला नम्बर 11 ता 14, 17 ता 20 में 8 बीघा, किला नम्बर 21 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 23 में 18 बिसवा कुल 10 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 9 में 9 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल तादादी 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम नियमन आवंटन कर दी जोकि कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। वादगत् भूमि वर्ष 1993 से 1998 तक अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि रही है। जोकि पटवारी रिपोर्ट से साबित है। अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा नियमन आवंटन की गई है। अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त आवंटन से पूर्व तहसील पटवारी की रिपोर्ट का

कोई अवलोकन नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने आवंटन नियम 21 ए के प्रावधानों का उल्लंधन कर आराजी मुतनाजा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनुचित लाभ देने की गरज से आवंटन नियमन की कार्यवाही की गई है जो आवंटन नियमों के विरूद्व है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट का नाम रिकार्ड में था। तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बाला—बाला की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट पूनाराम का इसी मुरब्बे में वर्ष 1993 से 1998 तक की मौके की रिपोर्ट में वर्ष 1993 में 3 बीघा, वर्ष 1994 में 3 बीघा, वर्ष 1995 में 3 बीघा व वर्ष 1996 में 5 बीघा में काश्त बताई गई है जबकि वर्ष 1997 व 1998 में काश्त नहीं होना बताया गया है। वर्ष 1999 से 2002 तक काश्त नहीं है। वर्ष 2003 व वर्ष 204 में काश्त बताई गई है। वर्ष 2005 में काश्त नहीं है। वर्ष 2006 में 3 बीघा में काश्त बताई गई व वर्ष 2007 सेक 2011 तक काश्त नहीं होना बताया गया है। वर्ष 2012 में 5 बीघा भूमि पर काश्त होना बताया गया है जबकि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नियमन आवंटन किया गया है। जो मौके की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

आवंटन नियमन नियम 21ए के तहत लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में कब्जा काश्त रहा हो तो ही नियमन किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में मामला नियमन का नहीं बनता है। उक्त रकबे की प्राथमिकता वरियता केवल और केवल अपीलांट की ही बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवेदन पर गौर किये बिना अपीलांट के आवेदन को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट को उक्त रकबा गैर कानूनी रूप से नियमन में आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जबकि उक्त रकबे के नियमन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को

आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को वादगत् आराजी चक 2 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 48/38 के किला नम्बर 11 ता 14, 17 ता 20, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा, 23 में 18 बिस्वा इस प्रकार 10 बीघा 1 बिस्वा कमाण्ड व 1 ता 9 में 9 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि के नियमन एवं आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट को कब्जे काश्त के आधार पर प्रकरण नियमन हेतु योग्य पाये जाने पर पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 07—02—2013 को आहूत होने पर अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नियमन कर दिया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। अपीलांट द्वारा अपील दुर्भावना पूर्वक प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को वादगत् भूमि का नियमन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन नियमन के पश्चात् निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट का नाम रिकार्ड में अंकन हो चुका है। आराजी जैर के आवंटन हेतु अन्य किसी का प्रार्थना पत्र

तत्समय लम्बित नहीं था। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र होने पर अदालत मातहत द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी चक 2 जीडब्ल्यूएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 48/38 के किला नम्बर 11 ता 14, 17 ता 20, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा, 23 में 18 बिस्वा इस प्रकार 10 बीघा 1 बिस्वा कमाण्ड व 1 ता 9 में 9 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 19 बीघा 14 बिस्वा भूमि के नियमन एवं आवंटन की गई।

(2) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार पूनाराम का मुरब्बे में वर्ष 1993 से 1998 तक की मौके की रिपोर्ट में वर्ष 1993 में 3 बीघा, वर्ष 1994 में 3 बीघा, वर्ष 1995 में 3 बीघा व वर्ष 1996 में 5 बीघा में काश्त बताई गई है जबकि वर्ष 1997 व 1998 में काश्त नहीं होना बताया गया है। वर्ष 1999 से 2002 तक काश्त नहीं है। वर्ष 2003 व वर्ष 204 में काश्त बताई गई है। वर्ष 2005 में काश्त नहीं है। वर्ष 2006 में 3 बीघा में काश्त बताई गई व वर्ष 2007 से 2011 तक काश्त नहीं होना बताया गया है। वर्ष 2012 में 5 बीघा भूमि पर काश्त होना बताया गया है।

(3) प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत अर्थात आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष वादगत् भूमि चक 2 जी.डब्ल्यू.एम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 49/39, 49/38, 49/31, 49/32, 49/40 कुल रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा पर मौके पर 40 वर्षो से पुराने कब्जा काश्त के आधार पर नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अदालत मातहत अर्थात सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को पत्र क्रमांक 3508 दिनांक

18—07—2012 द्वारा वादगत् भूमि बाबत् कब्जा काश्त के आधार पर नियमन की मांग किये जाने पर मौका रिपोर्ट चाही गई। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त रहा है।

(4) जब अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के नियमन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र लम्बित/जैरकार था तो अदालत मातहत को वादगत् भूमि के नियमन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। जैसा कि अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है। आवंटन नियमों के तहत वादगत् भूमि पर लगातार पॉच वर्षो से अधिक निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर ही नियमन करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जानी होती है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के नियमन प्रार्थना पत्र पर संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में भी रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि के बाबत् क्रमशः तीन बीघा व पॉच बीघा का कब्जा काश्त बताया गया है जबकि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को 19 बीघा 14 बिस्वा का नियमन किया गया है जो कि मौके व रिकार्ड के अनुसार नहीं है।

(5) प्रकरण में वादगत् भूमि के बाबत् जहॉ एक तरफ अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर नियमन की कार्यवाही की गई है वहीं दूसरी तरफ अपीलांट द्वारा भी वादगत् भूमि पर अपने कब्जे काश्त के आधार पर नियमन की मांग की जा रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट के नियमन से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि वादगत् भूमि के नियमन हेतु अन्य किसी का प्रार्थना पत्र भी जैरकार था अथवा नहीं? अपीलांट द्वार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि के नियमन हेतु अपीलांट की प्रार्थना पत्र भी जैरकार था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया नियमन आवंटन नियमों के विपरीत होना प्रतीत होता है।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश नहीं होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—02—2013 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर